(1B/PSV-NBR पर जारी)

PSV-NBR/1B/11.05

डा. किरोड़ी लाल मीणा (क्रमागत): कांग्रेस के राज में माइंस अलॉटमेंट का काम किया गया है। उस पर अपेक्स कोर्ट का एक फैसला आया था। It is the Supreme Court's well-known judgment in Samata Vs. Government of Andhra Pradesh. It said that the Government should prohibit transfer of tribal land to non-tribal people. The apex court, in 1997, had ruled that only cooperative societies owned by tribes and public enterprises can conduct mining or industries under Schedule 5. सभापति महोदय, मैंने यह इसलिए बोला कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी, समता बनाम आंध्र प्रदेश के आदेश के बाद भी कुछ सरकारों ने माइंस अलॉटमेंट कर दिया, जबकि ट्राइब्ज़ की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थीं, उनको एक भी माइन अलॉट नहीं किया। इसलिए मैं केन्द्र से यह माँग करूँगा कि अटल जी ने जो बड़ी ज़ोरदार पहल करते हुए केन्द्र में अलग से ट्राइबल मिनिस्ट्री बनायी, उनके इन अधिकारों की निगरानी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो इस पर मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि जब सरकार के 5th Schedule में यह mentioned है और सुप्रीम कोर्ट के इस ढंग के निर्णय हैं, तो उनकी पालना, चूँकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, बराबर रूप से करायी जाए, यह मेरा कहना है।

सभापति महोदय, मैं मोदी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि फरवरी, 2019 में कोर्ट ने जो उन आदिवासियों के दावे खारिज कर दिए थे, जो

2005 से पहले के रहे, जो अपना प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक निर्णय दिया कि ऐसे सभी आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी और उस पर स्थगन लिया। कम से कम 11 लाख आदिवासी परिवारों को जंगल से बेदखल करने का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, उसके कारण सरकार ने उनको बचाया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन सभापति महोदय, इसके विपरीत, राज्यों में सरकारें, जो आदिवासी अपने दावे प्रमाणित नहीं कर पाये, उनको बेदखल करने में लगी हैं। कल ही राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदिवासियों के घर उजाड़ दिये गये, कुएँ ढाह दिये गये। हमारे राजस्थान की सूचना मेरे पास है कि वहाँ उनको बेदखल करने में लगे हुए हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपकी मंशा साफ है और आपने सुप्रीम कोर्ट से स्थगन ले लिया है, तो स्टेट में वह दखल डाले और ये जो इस ढंग से अनावश्यक रूप से आदिवासियों को बेदखल कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके झोंपड़े उजाड़े जा रहे हैं, उनके कुओं को ढाया जा रहा है, उनको अविलम्ब तरीके से बंद किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे यहाँ राजस्थान में एक नया खेल कांग्रेस के मुख्य मंत्री जी ने किया है। जो TSP area है, उसमें 73 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। आबादी के हिसाब से उनका आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं देकर उनको 45 परसेंट आरक्षण दिया हुआ है। उसके विपरीत गैर-आदिवासी लोगों को 55 परसेंट आरक्षण देने का unconstitutional कार्य राजस्थान

की सरकार ने किया है। मैं दिल्ली की सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आदिवासी इलाकों में यह जो आरक्षण है, जो संविधान ...(व्यवधान)... केन्द्र की सरकार ...(व्यवधान)... केन्द्र की सरकार से ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: दिल्ली में संजय सिंह जी की सरकार है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: *

श्री सभापति: नहीं, नहीं। ...(व्यवधान)... नागर जी, प्लीज़। ...(व्यवधान)... यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: *

---

* Not recorded.

श्री सभापति: यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)... किरोड़ी लाल जी आप इधर देखिए। ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल मीणा: नागर जी यह कह रहे हैं तो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बिना अनुमति के कोई खड़ा होगा, 5 मिनट बोलेगा या 10 मिनट बोलेगा, वह एक सेकंड भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(1सी/एनकेआर पर आगे)

NKR-USY/1C/11.10

डा. किरोड़ी लाल मीणा : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि जिस ढंग से आरक्षण के साथ राजस्थान सरकार ने मनमानी की है, छेड़खानी की है, केन्द्र को दखल देकर उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने केन्द्र में एक PESA Act बनाया है, जिसके माध्यम से पंचायतों के और ग्राम सभा के अधिकार बढ़ाए लेकिन आदिवासी इलाकों में, चाहे माइन्स की लीज़ का मामला हो या इंडस्ट्रीज़ का मामला हो, उनमें ग्राम सभा को महत्व नहीं दिया जाता है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना लीज़ sanction कर दी जाती है। इस मामले को लेकर जब आदिवासियों का organization Supreme Court में गया तो Supreme Court ने कहा, "Gram Sabha should be consulted on Vedanta's Mining Project". In its final judgement, the hon. Supreme Court asked for proceedings of the Gram Sabha to be recorded in the presence of a Judicial Officer, appointed by the State High Court. The Supreme Court has further said that on the

basis of these Gram Sabha proceedings, the Union Ministry for Environment and Forest can take the final call on Stage-2 forest clearance required for the project. लेकिन आज उन आदेशों को अनदेखी की जा रही है।

श्री सभापति : किरोड़ी लाल जी, आपके पास सिर्फ एक मिनट बचा है। ..(व्यवधान).. जल्दी conclude कीजिए। ..(व्यवधान)..

डा. किरोड़ी लाल मीणा : महोदय, हमारे यहां PESA Act का उल्लंघन करके mines allot की जा रही हैं।

हमारे यहां जैसी लापरवाही चल रही है, इसीलिए मैंने यहां कांग्रेस का नाम लिया। हो सकता है कि सारे देश में इसी ढंग की स्थिति चल रही हो। चूंकि मेरे पास एक मिनट बाकी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि Scheduled Tribes को कुछ समय पहले जो आरक्षण मिला था, जिसकी पहल श्री जयपाल सिंह मुंडा ने की थी, मेरा आग्रह है कि जहां उन्होंने इतनी पहल करके एस.टी. को आरक्षण दिलाया, उनके सम्मान में सरकार की तरफ से एक जयंती समारोह मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा पूरे विश्व में 9 अगस्त को 'आदिवासी विश्व-दिवस' मनाया जाता है। हमारे राजस्थान में इनकी सरकार के समय में इसकी शुरुआत हुई है। मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि पूरे देश में 'आदिवासी दिवस' उसी तरह से मनाया जाना चाहिए, जैसे अन्य दिवस मनाए जाते हैं, 'योग दिवस' मनाया जाता है। यही मेरा सरकार से आग्रह है।

(समाप्त)